वाणिज्य अ.ज.–689

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.–II/2016–17/प्र 1915 दि: 28-8-17

आदेश

विषयः– कृषि उपभोक्ताओं द्वारा जले हुये ट्रांसफार्मर बदलने के सन्दर्भ में सहयोग राशी बाबत्।

निगम द्वारा जारी आदेश आर.ई.अ.ज. 208 दिनांक 03.05.2011 के अनुसार यदि कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर जलने पर कृषि उपभोक्ता जला हुआ / खराब हुआ ट्रांसफार्मर मौके से लेकर सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियन्ता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने के लिए सहयोग करता है, तो उसे सहयोग राशि के रूप में रू. 300/– का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में समायोजित करने का प्रावधान था, जिसे आर.ई.अ.ज. 260 दिनांक 27.06.2017 द्वारा सहयोग राशि रू. 300/– को बढाकर रू. 700/– कर दिया गया है।

प्रायः यह देखा गया है कि कृषि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में नियमानुसार सहयोग राशि का समायोजन नही किया जा रहा है। अतः सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। कि जनवरी, 2017 से जिन किसानों ने ट्रांसफार्मर कें ट्रांसपोर्टेशन में सहयोग किया उन्हे तत्कालीन नियमानुसार सहयोग राशि उनके आगामी बिलों में Rev.AJ 130 के अनुरूप समायोजित करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में भी सहयोग राशि उनके आगामी बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। उक्त मद में दी गयी राशि का विवरण वृत लेखाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मुख्य लेखाधिकारी (A&R) को उपखण्डवार भेजा जावेगा।

आज्ञा से

28.8.17
(एस. एस. मीणा)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर